उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग–3

संख्या 2018/14–3–95–1974

लखनऊ, 27 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0––91

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 41, 42, 51 और 76 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 672/चौदह –42, दिनांक 30 सितम्बर, 1915 और इस विषय पर समस्त अन्य आदेशों और अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके राज्यपाल इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के अभिवहन को विनयमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् –

उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978

(भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 41, 42, 51 और 76 के अधीन)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 कही जायगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषा

2–– इस नियमावली में, ''अधिनियम'' का तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 से है।

अध्याय –एक

भू–मार्ग से इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन

पास द्वारा वन उपज के अभिवहन का विनियमन

3–– किसी वन उपज का उत्तर प्रदेश राज्य में या से या के भीतर इसमें आगे किये गये उपबन्ध के सिवाय इस नियमावली के अनुसूची 'क' के प्रपत्र में अभिवहन पास के बिना जो वन विभाग के किसी अधिकारी या––

इस नियमावली के द्वारा या अधीन ऐसा पास जारी करने के लिये सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकेगा, या ऐसे पास की शर्तों से भिन्न प्रकार से या ऐसे पास में विनिर्दिष्ट मार्ग या गंतव्य स्थान से भिन्न मार्ग से या गंतव्य स्थान को स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा:––

परन्तु कोई अभिवहन पास––

(क) किसी वन उपज को हटाने के लिये अपेक्षित न होगा जिसे किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये विशेषाधिकार का या अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके उस ग्राम की सीमा में, जहां उसका उत्पादन किया जाय, वास्तविक उपभोग के लिये हटाया जा रहा हो:

(ख) वन विभाग द्वारा प्रबन्धित वन से ठेकेदार–अभिकरण द्वारा वन उपज को हटाने के लिये अपेक्षित न होगा, उस स्थित में स्थानान्तरण का विनियमन विक्रय की सुसंगत शर्तों और क्रेता द्वारा निष्पादित तदनुरूप करार विलेख के निबन्धनों द्वारा किया जायगा:

(ग) ऐसी वन अपज को हटाने के लिये अपेक्षित न होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट दे।

अधिकारी और व्यक्ति जो पास जारी करेंगें

4–– (1) निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को इस नियमावली के अधीन पास जारी करने की शक्ति होगी––

(क) उस वन उपज के लिये जो सरकार की हो या जिसका कोई व्यक्ति स्वामी न हो, अरण्यपाल, प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे अरण्यपाल या प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में इस निमित प्राधिकार दिया गया हो:

(ख) उस वन उपज के लिये जिसका कोई व्यक्ति स्वामी हो, ऐसा व्यक्ति या उसका अभिकर्ता यदि उसे प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में इस प्रकार का प्राधिकार दिया गया हो:

परन्तु––

(एक) कोई व्यक्ति जो अभिवहन पास या उपर्युक्त उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अभिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकार प्राप्त करना चाहता है, अनुसूची 'ख' के प्रपत्र में आवेदन करेगा और प्रभागीय वन अधिकारी अभिवहन पास जारी करने या ऐसा पास जारी करने के लिये प्राधिकार देने के पूर्व ऐसी जांच करेगा और ऐसी सूचना मांगेगा जिसे आवश्यक समझा जाय,

(दो) ऐसे प्राधिकार में वह अवधि विनिर्दिष्ट होगी जिसमें प्राधिकार प्रवृत्त रहेगा और उसमें वह मार्ग जो अपनाया जायेगा और जांच चौकी या डिपो भी विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिससे होकर उपज को ले जाना आवश्यक होगा, और

(तीन) किसी प्राधिकार में किसी समय, प्रभागीय वनाधिकारी या अरण्यपाल द्वारा कोई परिवर्तन, (अनुरोध करने पर या अन्यथा) किया जा सकता है या उसे निरिसत किया जा सकता है।

(2) अभिवहन पास जारी करने के लिये या किसी व्यक्ति को अभिवहन पास जारी करने का प्राधिकार देने के लिये सक्षम अधिकारी अभिवहन पास जारी करने या जारी करने का प्राधिकार देने से इंकार कर सकता है।

(3) नियम 4 (1) (ख) और 4 (2) के अधीन दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील अगले उच्च प्राधिकारी को (यदि आदेश प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिया गया हो, तो अरण्यपाल को यदि आदेश अरण्यपाल द्वारा दिया गया हो तो मुख्य अरण्यपाल या अपर मुख्य अरण्यपाल को) की जायेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विभिन्न वर्ग के पास के लिये देय फीस

[1][5–– नियम 15 के अधीन स्थापित और नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक (दो) के अधीन विनिर्दिष्ट जांच चौकी या डिपो पर वन उपज और पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय प्रति) नियम 6 के उप नियम (4) के अधीन परीक्षण के लिये और वन उपज पर निम्नलिखित दर पर संगणित अभिवहन पास फीस का भुगतान करने के लिये प्रस्तुत की जायेगी। अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र पर तदनुरूप रसीद दी जायेगी:––

(एक)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी प्रति लारी।	38 रूपया प्रति टन की दर से
(दो)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी पशु चालित प्रति गाड़ी।	19रूपया
(तीन)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति ऊंट।	9 रूपया
(चार)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति टट्टू।	4 रूपया
(पांच)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति सिर बोझ	2 रूपया

टिप्पणी–– लीसा और लीसा उत्पाद के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।]

---

1. उ0प्र0 इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2004 अधिसूचना संख्या–1886/XIV-2-2004-343(4)-2001 दिनांक 09.09.2004

6–– (1) प्रत्येक अभिवहन पास अनुसूची 'क'में दिये गये प्रपत्र में होगा। *पास में क्या होगा*

(2) प्रत्येक पास का रंग और आकार और अभिवहन पास की प्रत्येक पुस्तिका के संबंध मे दिये जाने वाला मूल्य ऐसा होगा जैसा मुख्य अरण्यपाल द्वारा विहित किया जाय।

(3)–– (एक) ऐसा पास देवनागरी लिपि में हिन्दी में या उर्दू में होगा।

(दो) अभिवहन पास तीन प्रतियों में होगा और बंधी हुई पुस्तिका के रूप में होगा जिसे प्रभागीय वन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। प्रत्येक पुस्तिका में पहचान संख्या होगी और प्रत्येक पुस्तिका में पास संख्याकित किया जायगा।

(4) तीन प्रतियों में पास के प्रपत्र की प्रथम प्रति प्रतिपर्ण होगी और उसका दूसरा और तीसरा भाग अभिवहन की जाने वाली उपज के प्रभारी व्यक्ति को दिया जायगा, और जब कभी किसी जांच अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय उसे प्रस्तुत किया जायगा तीसरा भाग वन उपज की जांच करने वाले वन अधिकारी द्वारा रख लिया जायगा जो दूसरे भाग पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर यह उल्लिखित करेगा कि उसने तीसरा भाग ले लिया है।

7–– किसी अभिवहन पास के अन्तर्गत साधरणतया एक से अधिक बोझ नहीं होगा, चाहे ऐसा बोझ किसी व्यक्ति या पशु द्वारा या किसी गाड़ी में ले जाया जाय, किन्तु प्रभागीय वन अधिकारी, जब कभी उचित समझे, यह आदेश दे सकता है कि एक पास के अन्तर्गत एक ही स्थान से और एक ही स्थान को 25 किलोमीटर से अनधिक की और एक ही समय में की गई मात्रा के लिये 50 से अनधिक सिर बोझ और 10 से अनधिक पशु चालित गाड़ी बोझ हो सकते हैं। *प्रत्येक बोझ के लिये पृथक – पृथक पास।*

8–– किसी अभिवहन पास पर मुद्रित या लिखित किसी बात में मार्ग और अवधि के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा और यह परिवर्तन पास में उल्लिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से वनपाल के पद से अन्यून किसी वन अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। *पास में अन्तःक्षेपन नहीं किया जायगा।*

9–– (1) जब प्रभागीय वन अधिकारी अभिवहन पास जारी करने के लिये नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता को प्राधिकार दें, तब वह ऐसे व्यक्ति को समय–समय पर सादे पास की अधिप्रमाणीकृत पुस्तिका देगा। *सादे पास की पुस्तिका उन व्यक्तियों को दी जायेगी जिन्हें पास जारी करने का प्राधिकार हो*

(2) उक्त व्यक्ति जिसको ऐसी पुस्तिका दी जाय, नियम 6 के उप नियम (2) के अधीन निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो, देगा। मूल्य के अतिभूति पास के समुचित उपयोग को समुचित करने के लिये 50 रूपये की प्रतिभूति भी जमा की जायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसे पास जारी करने का प्राधिकार दिया गया हो, अपने प्राधिकार को शर्तों से भिन्न प्रकार से अभिवहन पास जारी नहीं करेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति जारी किये गये किसी अभिवहन पास के लिये कोई फीस नहीं लेगा।

10–– समस्त प्रयुक्त अभिवहन पास के प्रतिपर्ण उस अधिकारी को जिससे पास पुस्तिका प्राप्त हुई थी, वापस कर दिये जायेंगे। ऐसा करने में विफल होने पर नियम 9 के उप नियम (2) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति की समपहृत किया जा सकता है। कोई नया पास और कोई अभिवहन पुस्तिका तब तक नहीं दी जायेगीं जब तक कि पहले से प्रयुक्त समस्त पास के प्रतिपर्ण वापस न कर दिये गये हों या प्रतिपर्ण वापस न करने के कारण फिर से प्रति जमा न की गयी हो। *प्रयुक्त अभि–वहन पास का प्रतिपर्ण वापस किया जाना।*

11–– कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन अभिवहन पास जारी करने का प्राधिकार दिया गया हो ऐसे समस्त पास के प्रतिपर्णों को, जो ऐसे व्यक्ति या अभिकर्ता द्वारा जारी किये गये हों, वनपाल के पद से अन्यून किसी वन अधिकारी द्वारा अपेक्षा करने पर, निरीक्षण करने के लिये प्रस्तुत करने या उन्हें वापस करने के लिए बाध्य होगा। *मांगने पर प्रति–पर्ण निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।*

पास जारी करने का प्राधिकरी रद्द करने या समाप्त होने पर प्रक्रिया।

12–– नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये गये किसी प्राधिकार को उक्त खण्ड के अधीन किसी समय रद्द किये जाने की दशा में या ऐसे प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकार इस प्रकार रद्द किया जाय या ऐसा व्यक्ति जिसे प्राधिकार की अवधि इस प्रकार समाप्त हो जाय, जैसी भी स्थिति हो, उस अधिकारी को जिसने प्राधिकार प्राप्त किया हो, अभिवहन पास की सभी अप्रयुक्त पुस्तिका और ऐसी किसी पुस्तिका के अप्रयुक्त भाग जो उसके पास हो, तथा अप्रयुक्त पास के प्रतिपर्णों को यदि कोई हो, जिसे उसने पहले वापस न किया हो तुरन्त वापस करेगा और तदुपरान्त उक्त व्यक्ति अभिवहन पास की ऐसी प्रत्येक अप्रयुक्त पुस्तिका के सम्बन्ध में संदत्त धनराशि वापस पाने का हकदार होगा किन्तु किसी अंशतः प्रयुक्त पुस्तिका के संबंध में कोई धनराशि वापस करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास कब अविधिमान्य होंगे।

13–– अभिवहन पास जारी करने के लिये नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई अभिवहन पास विधिमान्य न होगा, यदि––

(क) ऐसा पास नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रपत्र में तैयार न किया जायः, या

(ख) पास ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसा पास जारी करने के प्राधिकार को रद्द करने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जायः, या

(ग) पास ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे पास को जारी करने लिये दिये गये प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी किया जाय।

इमारती लकड़ी पर सम्पत्ति संबंधी और अभिवहन चिन्ह का लगाया जाना

14–– उस स्थिति के सिवाय जब वह सरकारी सम्पति हो, विनिर्दिष्ट जांच चौकी या डिपो पर लायी गयी समस्त इमारती लकड़ी का परीक्षण किया जायगा और उस पर सरकारी हथौड़े से चिन्ह (जिसकी अनुकृति से सम्बन्धित पास पर मुद्रित होंगी) लगाया जायगा। हथौड़े से लगाये जाने वाले ऐसे चिन्ह डिजाइन समय–समय पर अरण्यपाल या प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा विहित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, यदि अरण्यपाल या प्रभागीय वनाधिकारी ऐसा निदेश दें तो ऐसे प्रकार की इमारती लकड़ी के, जो सर्किल के अरण्यपाल या प्रभाागीय वन अधिकरी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत की गयी हो, स्वामी का सुभिन्न निजी सम्पत्ति चिन्ह भी लगाया जायेगा।

डिपो और उसका प्रयोजन

15–– अरण्यपाल ऐसे स्थान पर जिसे वह उचित समझे, डिपो स्थापित कर सकता है जहॉ पर वन उपज––

(क) सद्भाव से हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक परीक्षण या अनुवर्ती जांच करने के लियेः या

(ख) राज्य सरकार को उसके निमित देय धनराशि का अवधारण करने और इस प्रकार देय पायी गई किसी धनराशि का भुगतान करने के लियेः या

(ग) इस उद्देश्य से कि यदि विधि द्वारा या इस नियमावली द्वारा उस पर कोई चिन्ह लगाया जाना अपेक्षित हो, तो उसको इस प्रकार लगाया जा सकेः

डिपो की स्थिति का प्रकाशित किया जाना

16–– अरण्यपालय समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा और स्थानीय तौर पर ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे अपने सर्किल में ऐसे डिपो का ाम और उसकी स्थिति की जानकारी करायेगा।

डिपो किसी अधिकारी के प्रभार में होगा।

17–– प्रत्येक डिपो अरण्यपाल या प्रभागीय वन अधिकारी के आदेश के द्वारा या अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के प्रभार में होगा। किसी वन उपज का डिपो के प्रभारी अधिकारी को अनुज्ञा के बिना डिपो में न तो संग्रह किया जायेगा और न वहां से हटाया जायेगा।

सम्पत्ति चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण।

[1][18––(1) कोई व्यक्ति अपनी इमारती लकड़ी पर लगाये जाने वाले सम्पत्ति चिन्ह का उस प्रभाग के, जहां से वह इस नियमावली के अधीन अपनी इमारती लकड़ी का परिवहन करना चाहता है प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए प्रभागीय वन अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक सम्पत्ति चिन्ह में ऐसी युक्ति होगी जिसे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने प्रभाग के लिये अनुमोदित किया जायेगा, परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण कराने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से रजिस्ट्रीकृत या राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त चिन्ह के समान हो या जिससे ऐसा चिन्ह होने की भ्रान्ति हो सके। यह विवाद होने की स्थिति में कि राजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तावित चिन्ह का पहले से ही रजिस्ट्रकृत किसी अन्य सम्पत्ति चिन्ह से बहुत अधिक सदृश्य है या नहीं, वन संरक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

रजिस्ट्रीकरण की फीस धारा:41 (2) (ठ)

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये पचहत्तर रूपये की फीस ली जायेगी। फीस के भुगतान के सम्बन्ध में एक रसीद अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र में दी जायेगी।

(4) प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अपना चिन्ह रजिस्ट्रीकृत कराये, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र दिया जायेगा जिसमें युक्ति का उल्लेख होगा। रजिस्ट्रीकरण आगामी 30 सितम्बर तक विधिमान्य रहेगा।]

वन उपज की दिन मे हटाया जायगा।

19–– प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित विशेष अनुज्ञा के सिवाय किसी वन उपज का परिवहन सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं किया जायगा। इस प्रकार अनुज्ञात परिवहन के लिये नियम 5 में विहित दर से दुगुनी दर पर फीस ली जायगी।

विदेशी पास।

20–– उत्तर प्रदेश राज्य में आयातित समस्त वन उपज के सम्बन्ध में इस नियमावली के अतिरिक्त, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 40–क के अधीन संघ सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का अनुसरण किया जायगा और वे नियम 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी पास के अन्तर्गत होंगे और इमारती लकड़ी की स्थिति में उन पर नियम 23 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी सम्पत्ति चिन्ह होगा।

विदेशी पास प्रपत्र आदि का रजिस्ट्रीकरण अरण्यपाल के कार्यालय में अवश्य होना चाहिये।

21––प्रदेश विदेशी पास ऐसे प्रपत्र में अवश्य होना चाहिये जो उस सर्किल के, जिस में विदेशी पास के अधीन वन उपज आयात किया जाना हो अरण्यपाल के कार्यालय में राजिस्ट्रीकृत हो और उस पर ऐसे पदधारी का हस्ताक्षर होगा जिसका पदनाम उक्त अरण्यपाल के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हो और प्रत्येक विदेशी सम्पत्ति चिन्ह उस प्रकार का होना चहिये जो उक्त कार्यालय में नियम 23 के अधीन राजिस्ट्रीकृत हो। सम्बद्ध सर्किल के अरण्यपाल के कार्यालय में विदेशी पास का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये आवेदन करते समय सम्बद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित घोषणा–पत्र प्रस्तुत कराना होगा। कि उत्तर प्रदेश राज्य में वांछित वन उपज का निर्यात करने पर कोई आपत्ति नहीं है और सम्बद्ध पक्ष ने सक्षम प्राधिकारी को उद्ग्रहणीय सीमा–शुल्क उत्पादन शुल्क या अन्य शुल्क का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिया हैः

परन्तु पड़ोसी राज्य सरकारों के अनुरोध पर ऐसे ठेकेदारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा जिसके हस्ताक्षर, उस प्रभागीय वन अधिकारी के जिसके प्रभाग मे उपज को ले जाया जाय कार्यालय में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है, हस्ताक्षरित पास की अनुकत दी जा सकती हैः

परन्तु यह और कि ऐसे ठेकेदारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पास पर उप अधिकारी की शासकीय मुहर लगी होनी चाहिये जिसे राज्य सरकार के ठेकेदारों को पास पुस्तिका जारी करने के लिये प्राधिकार दिया हो।

---

1. उ0प्र0 इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2004 अधिसूचना संख्या–1886/XIV-2-2004-343(4)-2001 दिनांक 09.09.2004

22–– उत्तर प्रदेश राज्य में आयातित किसी वन उपज का परिवहन नियम 4 के अधीन जारी किये गये पास के बिना उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर नियम 15 के अधीन स्थापित निकटतम प्रथम डिपो तक किया जा सकता है यदि वह नियम 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी पास के अन्तर्गत आता हो और यदि ऐसी सीमा और ऐसे डिपों के बीच किसी स्थान पर उसका ढेर लगाया गया हो य उसे जमा किया गया हो तो विदेशी पास जिसके अन्तर्गत पदार्थ आता है उस डिपों पर तुरन्त दे दिया जायगा।

आयातित वन उपज का परिवहन नियम 4 के अधीन पास के बिना प्रथम डिपो को किया जा सकता है।

[1][23–– वन संरक्षक नियम 21 के प्रयोजनार्थ किसी विदेशी प्रपत्र या चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर उसकी अधि–प्रमाणिकता के सम्बन्ध में जांच कर सकता है और यदि उसे कोई आपत्ति नहो तो वह आवेदक द्वारा 750 रूपया देने पर अपने कार्यालय में ऐसे प्रपत्र या चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करेगा। ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से रजिस्ट्रीकरण वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगा सिवाय विदेशी सरकारों, के प्रपत्रों और चिन्हों की स्थिति में जिनका रजिस्ट्रीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक कि उनका उपान्तर या निरसन नये प्रपत्रों या चिन्हों या चिन्हों द्वारा न कर दिया जाय।]

विदेशी पास के प्रपत्रों या विदेशी सम्पत्ति चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण

24–– ऐसे वन अधिकारी से जिसका कर्तव्य ऐसे चिन्हों का उपयोग करना है, भिन्न कोई व्यक्ति इमारती लकड़ी के लिये ऐसे किसी सम्पत्ति चिन्ह का उपयेग नहीं करेगा जो किसी सरकारी अभिवहन चिन्ह या ऐसे चिन्ह के जिससे सरकारी इमारती लकड़ी चिन्हित की जाय, समान हो या लगभग उसके सदृश हो, और जब कोई इमारती लकड़ी नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता के द्वारा जारी किये गये पास से अभिवहन में हो, तब कोई व्यक्ति उस पर किसी चिन्ह में न तो परिवर्तन करेगा और न उसे मिटायेगा।

सरकारी चिन्ह की न तो अनुकृत की जायगी और न उसे मिटाया जायगा।

25–– (1) अभिवहन में किसी वन उपज को जिस पर यह नियमावली लागू होती है और ऐसी वन उपज को ले जाने वाले किसी व्यक्ति, पशु, गाड़ी, जलयान या यान को, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी वन, पुलिस या राजस्व अधिकारो द्वारा, जो वन रक्षी पुलिस सब– इन्सपेक्टर या कानूनगो के पद से निम्न पद का न हो, किसी स्थान पर रोका जा सकता है, निरूद्ध किया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है और उनकी जांच की जा सकती है यदि ऐसे अधिकारी को यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार हो कि उसके सम्बन्ध में सरकार को देय किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है या उसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा हैः

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ तंग करने के लिये या अनावश्यक रूप से ऐसी किसी वन अपज को जो विधि पूर्वक अभिवहन में हो, न तो विरूद्ध करेगा और न तंग करने के लिये या अनावश्यक रूप से किसी ऐसी वन उपज को उतारेगा और न उसे उतरायेगा।

(2) ऐसी वन उपज का प्रभारी व्यक्ति वन–उपज के संबंध में किसी ऐसे अधिकरी द्वारा अपेक्षित समस्त सूचना उसको प्रस्तुत करेगा, और यदि व अभिवहन पास से उसका परिवहन कर रहा हो तो वह निरिक्षण के लिये मांगने पर ऐसे पास को ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा उक्त वन उपज को रोकने या उसका परीक्षण करने का किसी भी प्रकार से निवारण या प्रतिरोध नहीं करेगा।

कतिपय अधिकारी द्वारा अभिवहन में के वन उपज को रोका जा सकता है और उसका परीक्षण किया जा सकता है।

26–– वन विभाग के प्रभार में किसी आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत वन की सीमा में और––

(एक) ऐसी सीमा से सोलह किलोमीटर के भीतर कोई व्यक्ति रेंज वन अधिकारी के पद से अनिम्न वन अधिकरी की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना इमारती लकड़ी को काटने संपरिवर्तित करने या गढ़ने या लकड़ी का कोयला बनाने के लिये चिराई मशीन के लिये गड्ढ़ा नहीं बनायेगा,: और––

इमारती लकड़ी के प्रतिवर्तन का प्रतिषेध

---

1. उ0प्र0 इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2004 अधिसूचना संख्या– 1886/XIV-2-2004-343(4)-2001 दिनांक 09.09.2004

(दो) ऐसी सीमा से अस्सी किलोमीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति प्राभागीय वन अधिकारी के पद से अनिम्न किसी वन अधिकारी को लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना जो ऐसी अनुज्ञा देते समय सरकार के हित की रक्षा के लिये उपयुक्त शर्ते आरोपित कर सकता है, इमारती लकड़ी को काटने, संपरिवर्तित करने और गढ़ने के लिये कोई मशीनरी या अन्य संयत्र नहीं लगायेगाः

(तीन) खण्ड (दो) के अधीन चिन्हित प्रकार और सीमा के भीतर पहले से ही स्थापित मशीनरी या अन्य संयंत्र की स्थिति में, स्वामी को प्रभागीय वन अधिकारी के पद से अनिम्न किसी वन अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होंगी जो अनुज्ञा देते समय सरकार के हित की रक्षा के लिये उपयुक्त शर्ते आरोपित कर सकता है।

स्पष्टीकरण–– यह नियम घरेलू बढईगीरी या लघु पैमाने पर अन्य तत्सदृश कार्य के सामान्य संचालन पर लागू नहीं होगा।

स्थानीय क्षेत्रों को प्रकाशित किया जाना जिन पर नियमावली लागू नहीं होती।

27––राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र को इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

नियमों के उल्लंघन के लिये शास्ति।

28–– (1) कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उन मामलों में जिनमें अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिये तैयारी करने के पश्चात् किया या है या जहां अपराधी उसी प्रकार के अपराध के लिये पहले भी सिद्धिदोष हो चुका है वहां आरोपित की जाने वाली शास्ति उपनियम (1) में उल्लिखित शास्ति से दुगनी होगी।

अध्याय–दो

जल मार्ग द्वारा इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन

बिना पास के इमारती लकड़ी का बेड़ा बनाने और प्रवाहित करने पर निर्बन्धन धारा 41 (2) (ग)

29––(1) कोई व्यक्ति उस वन प्रभाग के, जिसमें कोई नदी हो, प्रभारी वन अधिकारी से या ऐसे अधीनस्थ अधिकारी से जिसे वन प्रभाग का प्रभारी अधिकारी इस निमित्त प्राधिकृत करे, सर्वप्रथम अभिवहन पास प्राप्त किये बिना किसी नदी में किसी इमारती लकड़ी का न तो बेड़ा बनायेगा और न अन्यथा उसे प्रवाहित करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे पास के आधार पर जो उसके नाम से नहीं है किन्तु जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है या होना बताया जाता है इमारती लकड़ी या बेड़ा बनाने या उसको प्रवाहित करने का हकदार नहीं होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिवहन पास देवनागरी लिपि मे हिन्दी में या उर्दू में होगा और इस नियमावली की अनुसूची 'क'में दिये गये प्रपत्र में होगा और उस पर वन अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर किया जायगा और मुहर लगाई जायगी।

पास जारी करने का प्रतिषेश धारा 41 (2) (ख)।

30–– कोई पास किसी अचिन्हित इमारती लकड़ी के लिये या ऐसी इमारती लकड़ी के लिये जारी नहीं किया जायगा, जिस पर ऐसा चिन्ह लगा हो जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है जैसा कि आगे व्यवस्था की गई है।

फीस का उद्ग्रहण धारा 41 (2) (ग)

[1][31–– ऐसी नदियों से और ऐसे स्थानों में, जहॉ वन संरक्षक समय–समय पर इमारती लकड़ी का बेड़ा बनाने या प्रवाहित करने लिये निदेश दें, पास जारी करने के लिये इमारती लकड़ी के प्रत्येक लट्ठे या टुकड़े के लिए निम्नलिखित दर पर फीस निम्नलिखित दर पर फीस उद्गृहीत की जा सकती हैः–

इमारती लकड़ी या लट्ठे की लम्बाई मीटर में	प्रति लट्ठा या प्रति टुकड़ा फीस
एक मीटर तक	4.00 रूपया
एक मीटर से अधिक और दो मीटर तक	8.00 रूपया
दो मीटर से अधिक और तीन मीटर तक	11.00 रूपया
तीन मीटर से अधिक	15.00 रूपया

(2) फीस का भुगतान करने के सम्बन्ध में इस नियमावली की अनुसूची 'ग' दिये गये प्रपत्र में एक रसीद दी जाएगी।]

1. उ0प्र0 इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2004 अधिसूचना संख्या– 1886/XIV-2-2004-343(4)-2001 दिनांक 09.09.2004

32–– कोई व्यक्ति जिसने अपनी इमारती लकड़ी को किसी नदी में डाला है या बहाया है––

(क) उस वन प्रभाग के जिसका सम्बन्धित नदी पर नियंत्रण हो, प्रभारी वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा सिवाय,

(ख) ऐसे स्थानों के सिवाय, जिन्हें ऐसी अधिकारी संग्रह डिपो अधिसूचित करें, उसका संग्रह नहीं करेगा।

इमारती लकड़ी आदि का संग्रह करने पर निर्बन्धन धारा 41 (2) (ख) और 41 (2) (2) (घ)

33–– (1) वन रक्षक के पद से अनिम्न कोई वन अधिकारी पदाधिकारी या सब इन्स्पेक्टर के पद के अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, यथा उपर्युक्त इमारती लकड़ी का बेड़ा बनाने या उसको प्रवाहित करने वाले किसी व्यक्ति से किसी समय निरीक्षण के लिये अभिवहन पास प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी के संबंध में जिसका बेड़ा बनाया जा रहा हो या जो प्रवाहित की जा रही हो, पास प्रस्तुत न किये जाने या पास न होने की दशा में उक्त वन अधिकारी/पदाधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी इमारती लकड़ी को निरूद्ध करेगा और मामले की सूचना प्रभागीय वन अधिकारी को देगा।

निरीक्षण करने की शक्ति धारा 41 (2) (ग)

34–– किसी व्यक्ति को, कोई इमारती लकड़ी, पास के बिना नदी के किनारे इतना नजदीक जमा करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी जिससे कि पास जारी किये जाने के पूर्व नदी में पानी बढ़ जाने के कारण उसके बह जाने का खतरा हो जाय।

नदी के किनारे इमारती लकड़ी जमा करना प्रतिषिद्ध है।

35–– (1) समस्त व्यक्ति जो किसी नदी द्वारा इमारती लकड़ी को बहाना या अन्यथा प्रवाहित करना चाहें उस वन प्रभाग के, जिसका संबंधित नदी पर नियंत्रण हो, कार्यालय में उस चिन्ह या चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण करायेंगे जिनसे ऐसी इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में उनका साम्पत्तिक अधिकार मालूम हो।

(2) किसी व्यक्ति को ऐसे चिन्ह का, जो किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पहले से रजिस्ट्रीकृत हो या सरकार द्वारा प्रयुक्त किसी चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण कराने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) वन अधिकारी ऐसे किन्हीं चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकता है जो उसकी राय में सरकार द्वारा प्रयुक्त चिन्ह या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पहले से रजिस्ट्रीकृत चिन्ह से इतना अधिक समान हो कि उसे ऐसे सरकारी या रजिस्ट्रीकृत चिन्ह में आसानी से परिवर्तित करने की आशंका हो।

चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण धारा (41) (2) (झ)

[1][36––(1) प्रत्येक चिन्ह में रजिस्ट्रीकरण के लिए सौरूपये की रजिस्ट्रीकरण फीस देय होगी।

(2) फीस का भुगतान करने के सम्बन्ध में इस नियमावली की अनुसूची 'ग'में दिये गये प्रपत्र में एक रसीद दी जायगी।]

चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस धारा (41) (2) (ठ)

37––नियम 16 के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रजिस्ट्रीकरण के दिनांक के पश्चात आगामी पहली जनवरी से 3 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विधि–मान्यता की अवधि धारा (41) (2) (झ)

---

1. उ0प्र0 इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2004 अधिसूचना संख्या– 1886/XIV-2-2004-343(4)-2001 दिनांक 09.09.2004

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र।

38–– रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में एक प्रमाण–पत्र देगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और अवधि के लिये वह विधिमान्य रहेगा, विनिर्दिष्ट की जायगी।

घोषित क्षेत्रों में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध धारा 41 (2) (ज)

39–– (1) किसी ऐसे क्षेत्र की सीमा में जो धारा 45 के अधीनइस प्रकार घोषित की जाय, वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के सिवाय इमारती लकड़ी को स्थानान्तरित करना, संपरिवर्तन करना काटना, जलाना, छिपाना या चिन्ह लगाना उस पर लगे किसी चिन्ह को बदलना या मिटाना और चिन्ह लगाने वाले हथौड़े या इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिये प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना प्रतिसिद्ध होगा।

(2) यदि उप नियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी जाय तो उसमें वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जायगा, या जहां पर वह प्रभावी होंगी और उसमें, यथास्थिति इमारती लकड़ी के पूर्व निरीक्षण या अन्य बात के संबंध में अन्य शर्तें दी जा सकती हैं।

शास्ति धारा 42

40–– (1) कोई व्यक्ति जो इस अध्याय में दिये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, किसी एक प्रकार की कारावास की ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) द्वितीय या अनुवर्ती अपराध की स्थिति में या ऐसी स्थिति में, जहां अपराध सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिये तैयारी करने के पश्चात किया जाता है, वहां ऐसी शास्ति दी जा सकती है जो उप नियम (1) में उल्लिखित शास्ति से दुगुनी हो।

अध्याय–तीन

बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी का संग्रह

क्षेत्रों की घोषणा धारा –45

41–– भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 45 के प्रयोजनार्थ क्षेत्र निम्नलिखित होगा–

(1) सम्पूर्ण जौनसार बाबर परगना।

(2) मेरठ सिविल डिवीजन की सीमा में, जिसमें यमुना नदी की धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य–क्षेत्र में यमुना और उसकी सकायक नदियां।

(3) मेरठ जिले में गढ़मुक्तेश्वर से ऊपर की ओ जिसमें गंगा नदी की मुख्य धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य क्षेत्र में राम गंगा और उसकी सहायक नदियां।

(4) नगीना–अफजलगढ़ मार्ग के ऊपर की ओर जिसमें रामगंगा नदी की मुख्य धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मान कर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भरतीय राज्य क्षेत्र में रामगंगा और उसकी सहायक नदियां।

(5) बहरामघाट के रेलवे पुल के ऊपर की ओर जिसमें शारदा (काली) नदी की मुख्य धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य क्षेत्र में शारदा (काली) और उसकी सहायक नदियां।

(6) गोरखपुर जिले की सीमा में जिसमें गंडक नदी की मुख्यधारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भरतीय राज्य क्षेत्र में गंडक और उसकी सहायक नदियां।

उद्धारण आदि पर निबर्न्धन धारा –45 (2 और 51)

42–– कोई व्यक्ति, जब तक कि ऐसे वन अधिकारी द्वारा जिसका सम्बन्धित नदी पर नियंत्रण हो, लिखित रूप से विशेषतः प्राधिकृत न किया जाय, इस नियमावली के नियम 41 के अधीन उपर्युक्त क्षेत्रों में अचिन्हित अनगढ़े टुकड़े से भिन्न किसी भी प्रकार का काष्ठ या इमारती लकड़ी लम्बाई में 180 सेन्टीमीटर और परिधि (गर्थ) में 60 सेन्टी मीटर से अधिक न हो, उद्धारण नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत चिन्ह से चिन्हित इमारती लकड़ी का उद्धारण और संग्रह करने की अनुज्ञा धारा 45 (2) और 51

43–– (1) वन अधिकारी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41 के अधीन और इस नियमावली के अनुसार राजिस्ट्रीकृत चिन्ह वाली ऐसी समस्त इमारती लकड़ी के, जो बाढ़ या अन्य कारण से बह जाय या अटक जाय, स्वामी या स्वामियों को ऐसी इमारती लकड़ी का उद्धारण या संग्रह करने को लिखित अनुज्ञा दे सकता है या वन अधिकारी स्वयं उसका संग्रह कर सकता है या वह अपने तथा संग्रह करने पक्ष के बीच समस्त दर पर उसका उद्धारण करने और कतिपय स्थान या स्थानों में उसका किसी अन्य की उस पक्ष से संविदा कर सकता है।

(2) वन अधिकारी नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रकार संग्रह की गई इमारती लकड़ी स्वामी या स्वामियों का ऐसे देयों का भुगतान करने पर जो वन अधिकारी द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाय, दे दी जायगी।

अरजिस्ट्रीकृत चिन्ह से चिन्हित इमारती लकड़ी का उद्धारण और संग्रह करने की अनुज्ञा धारा 45 (2) और (51)

44–– वन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी इमारती लकड़ी का जिस पर ऐसे चिन्ह लगे है जो इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिस पर चिन्ह अग्नि द्वारा या अन्यथा मिटाये बदले या बिगाड़े गये है और गढ़ी हुई इमारती लकड़ी के जिस पर कोई चिन्ह नहीं लगे है, उद्धारण और संग्रह कर सकता है।

स्वामी को इमारती लकड़ी का परिदान करने की शर्त धारा 45 (2) और 51

45––(1) ऐसी कोई इमारती लकड़ी किसी दावेदार को जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 47 के अधीन स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तब तक परिवहन नहीं की जायगी जब तक कि उसने वन अधिकारी को उसके मूल्य का, जैसा उस अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाया 25 प्रतिशत से अनधिक धनराशि और ऐसा अन्य व्यय जो उक्त इमारती लकड़ी के उद्धारण में हुआ हो, न दे दिया हो।

(2) यदि मान्यता प्राप्त स्वामी वन अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उसका भुगतान करने में विफल रहता है तो उद्धारण की गई सम्पत्ति के संबंध में दावा न की गई इमारती लकड़ी के रूप में कार्यवाही की जायगी।

(3) इस निमावली के अधीन उद्धारण की गई समस्त इमारती लकड़ी का, जो सरकार मे निहित हो सकती है, उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन दावे के निस्तारण के लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति से दो मास पश्चात् सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिये व्यय किया जा सकता है।

गढ़े न हुये काष्ठ या इमारती लकड़ी बेचने की शक्ति धारा 51 (1) (क)

46–– वन अधिकारी ऐसे समस्त गढ़े न हुये काष्ठ या इमारती लकड़ी को जिन पर कोई चिन्ह न लगा हो, किसी भी समय उस स्थान पर जहां वह अटकी हुई हो, बेच सकता है, या वह ऐसी इमारती लकड़ी को संग्रह या व्यय न करने के अधिकार को पट्टे पर दे सकता है,जब उसकी राय में उसे डिपो पर लाना पर्याप्त रूप से मूल्यवान न हो।

विक्रीत इमारती लकड़ी का चिन्हित किया जाना 51 (1) (क)

47––(1) ऐसे समस्त काष्ठ या इमारती लकड़ी पर जब उसे नियम 46 के अधीन वन विभाग द्वारा बेचा जाय, विभागीय विक्रय चिन्ह लगााया जायगा।

(2) ऐसे समस्त काष्ठ या इमारती लकड़ी पर, जब उसका नियम 45 (1) के अधीन अवत्याग कर दिया जाय, उपयुक्त सुभिन्न चिन्ह लगााया जायगा। नियम 41 के अधीन घोषित क्षेत्र से किसी काष्ठ या इमारती लकड़ी को हटाने के लिये प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त पदाधिकारी से एक मुद्रित और संख्याकित पास अवश्य प्राप्त करना चाहिये जिस पर काष्ठ और इमारती लकड़ी के टुकड़ों की संख्या और उनका प्रकार और क्रेता या दावेदार से वसूल की गई धनराशि विनिर्दिष्ट हो।

इस अध्याय के अधीन शास्ति धारा 51 (2)

48–– कोई व्यक्ति जो इस अध्याय में लिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

सामान्य

निरसन और अपवाद

49–– इस निमयावली के प्रवृत्त होने पर, इनके तद्नुरूप समस्त नियम, जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के किसी सम्भाग में प्रवृत्त हो, निरसित हो जायेंगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित किसी नियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही को, जब तक ऐसा कार्य या काय्रवाही इस नियमावली के किसी उपबन्ध से असंगत न हो, इस नियमावली के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी।

आज्ञा से
एन0पी0
त्रिपाठी सचिव।

अनुसूची 'क'

प्रपत्र

(नियम 3 देखिये)

प्रतिपर्ण

पुस्तक संख्या	अभिवहन पास	पृष्ठ संख्या
(1)	(2)	(3)

1–– वन उपज की उत्पत्ति का अवस्थान––

(क) वन का नाम और स्थिति

(ख) वन स्वामी का नाम

2–– वन उपज के स्वामी का नाम और पता

3– उपज का विवरण और परिणाम

4–– सम्पत्ति चिन्ह आदि

5–– ग्राम/नगर का नाम, जहां उपज का परिवहन किया जायगा

6–– मार्ग जिससे उपज का परिवहन किया जायगा

7–– डिपो जहां पर जांच के लिए वन उपज प्रस्तुत की जायगी

8–– पास की सम्पत्ति का दिनांक

9–– कोई अन्य व्योरा

10–– निर्गमन अधिकारी का हस्ताक्षर, मुहर और दिनांक

11–– जांच अधिकारी का हस्ताक्षर

अनुसूची 'ख'

आवेदन–पत्र का प्रपत्र

1–– नाम

2–– पिता का नाम

3–– पूरा पता

4–– भूमि का व्योरा जहां से उपज लाई जायगी।(उसका क्षेत्रफल दीजिये) यदि किसी जोते से लायी जाय तो उसका खसरा संख्या दीजिये और खसरा खतौनी का सुसंगत उद्धरण संलग्न कीजिए।

5–– वृक्षों का व्योरा जिनकी उपज को लाये जाने का प्रस्ताव हैः–

प्रजाति	वृक्षों की संख्या	वर्गवार व्यास (छाती की ऊंचाई पर व्यास)		
0.10 सेन्टी मी0	10.20 सेन्टी मी0	20.30 सेन्टी मी0	30.40 सेन्टी मी0	40.50 सेन्टी मी0

6–– वृक्षों को गिराने और हटाने की अनुज्ञा का व्योरा, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1976) के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा भी सम्मिलित है।

7–– गतव्य स्थान जहां उपज ले जाने का प्रस्ताव हो।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक ।

अनुसूची 'ग'

रसीद का प्रपत्र

वन विभाग ———————————————————सर्किल उत्तर प्रदेश

पुस्तक संख्या ——————————————————— रसीद संख्या ——————————————————

वन प्रभाग ——————————————— 198

—————————————————से ——————————————के मद्धे———————————————रूपये की राशि प्राप्त की।

दिनांक——————————————— 198

वन अधिकारी

आज्ञा से ,

एन0पी0 त्रिपाठी

सचिव।